



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 1977/फाल्गुन 16, 1898

No. 116] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 1977/PHALGUNA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March 1977

S.O. 218(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seeds Committee, hereby denotifies the varieties specified in column (1) of the Table below, which were notified as such varieties vide notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) No. S.O. 4045, dated the 24th September, 1969, in respect of the areas specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, namely:—

TABLE

Variety	Area for which denotified
1	2
Bajra	
1. Hybrid Bajra No. 1	Rajasthan
2. Hybrid Bajra No. 3	Rajasthan

2. Further, in exercise of the powers aforesaid, the Central Government hereby makes the following amendment in the said notification, namely:—

3. In the Table of the said notification, under the variety "Bajra" against entries No. 1 and 3, the word "Rajasthan" shall be omitted.

[No. 7-8/74-SD.]

P. S. KOHLI, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1977

का०आ० 218 (अ):—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट किस्मों को जिन्हें भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और संगठन मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 4045 तारीख 24 सितम्बर, 1969 के अनुसार उस किस्म के रूप में अधिसूचित किया गया था, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की बाबत, अन-अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

किस्म क्षेत्र जिसके लिए अन-अधिसूचित किया गया

1 2

बाजरा

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. संकर बाजरा सं० 1 | राजस्थान |
| 2. संकर बाजरा सं० 3 | राजस्थान |

2. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

3. उक्त अधिसूचना की सारणी में "बाजरा" किस्म के नीचे प्रविष्टि सं० 1 और 3 के सामने "राजस्थान" शब्द का लोप किया जाएगा।

[सं० 7-8/74-एस डी]

पी० एस० कोहली, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977